तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.3.23	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेन्च — न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी पेश हुई। पक्षकारान के उपस्थिति के अधिवक्तागण को उक्त गया। आदेश नकल के लिखित जमा गया। आदेश मूल न्यायालय भिजवाया गया। आदेश की पालनार्थ हाजिर आवे हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली मिसल मुताबिक होकर शामिल दफ्तर हो। अध्यक्ष लोक अदालत अतिरिक्त मुख्य [illegible] मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

राष्ट्रीय लोक अदालत – 11.02.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प– न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या: 14 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. चौला पुत्र मूला वगैरा (8)
   जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. खेता पुत्र चेना वगैरा (17)
   जाति मेगवाल निवासी गोदारों की बेरी तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11/2/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प–गुड़ामालानी पेश हुई हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2072–2075 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा खुडाला के खेत खसरा नम्बर 118, 120, 121 रकबा 0.1457, 0.1295, 7. 5676 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा खुडाला के खेत खसरा नम्बर 118, 120, 121 रकबा 0.1457, 0.1295, 7.5676 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/02/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:47:06 IST
Reason: SelfAttested